

92

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल से 10 किमी० की परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सेन्चुरी क्षेत्र नहीं पड़ता है। प्रस्तावित स्थल के पास जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा हिण्डन पक्षी विहार हेतु भूमि का आवंटन किया गया है लेकिन वन्य जीव अधिनियम की धारा-26ए के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र पक्षी विहार घोषित नहीं किया गया है।

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
गाजियाबाद

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मेट्रो लाईन (दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद) उपरोक्त प्रोजेक्ट के समीप ही प्रस्तावित है एवं प्रस्तावित स्थल से 10 किमी० की परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सेन्चुरी क्षेत्र नहीं पड़ता है।

(चक्रेश जैन)  
अधिसासी अभियन्ता  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण